

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'आठ'
अंतरांकित 23

"परिशिष्ट - 3"
21/3/2017

प्रश्न सं. क्र. 8327
मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्र. F-6-18/10/18-3/7814

भोपाल, दिनांक 17/6/2016

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
नगरपालिक निगम,
मध्य प्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद / नगरपालिका परिषद,
मध्य प्रदेश।

विषय:—ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू करने बावत्।

संदर्भ:—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र. F-6-18/10/18-3/7143 दिनांक 13.07.2015।

इस विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 13.07.2015 का अवलोकन करें। इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि नगरीय निकाय में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से नगरीय निकायों में रु. 2.00 लाख या अधिक की निविदाएं, ई-टेण्डरिंग पद्धति से आमंत्रित की जाना सुनिश्चित किया जाये।

निर्णय लिया गया है कि अब नगरीय निकायों में रु. 1.00 लाख या अधिक की निविदाएं केवल ई-टेण्डरिंग पद्धति से ही आमंत्रित की जायें। इस विषय पर विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में जारी निर्देश पत्र क्र. 8127/यां.प्र./7/2015, भोपाल, दिनांक 04.08.2015 तथा इस विषय पर किये गये संशोधन यथावत लागू होंगे।

यह आदेश दिनांक 20.06.2016 के उपरांत जारी की जाने वाली समस्त निविदाओं पर लागू होगा एवं इन निर्देशों के पालन किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा।

(विवेक अग्रवाल)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P Bhopal

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ.क्र. भोपाल, F-6-18/10/18-3/ 7815

दिनांक 17/6/ 2016

प्रतिलिपि:-


1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
4. म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड।



Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P. Bhopal

(प्रभाकांत) कटारे

प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश



अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग